ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
मार्गदर्शिका

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान,
बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी (जीविका)
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन -मार्गदर्शिका

अंतर्वस्तु **पृष्ठ संख्या**

अंतर्वस्तु	पृष्ठ संख्या
परिचय	01
उद्देश्य	01
1. ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन	02
1.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	03
1.2 जैविक अपशिष्ट	03
1.3 अजैविक अपशिष्ट	03
1.4 पशु अपशिष्ट	03
2. तरल अपशिष्ट प्रबंधन	03
2.1 तरल अपशिष्ट के प्रकार	03
2.2 धुसर जल (ग्रे वाटर)	03
2.3 मलिन जल (ब्लैक वाटर)	03
3. संस्थागत ढांचा	04
3.1 राज्य स्तर	04
3.2 राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति	04
3.3 राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई	04
3.4 जिला जल एवं स्वच्छता समिति	05
3.5 प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण ईकाई	06
3.6 ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति	07
3.7 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति	08
3.8 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य एवं दायित्व	09
4. ठोस एवं तरल अपशिष्ट के क्रियान्वयन में तकनीक एवं उपाय	10
5. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मानव संसाधन	10
6. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सामेकित सूचना प्रबंधन	10
7. वित्तीय प्रबंधन	11
8. उपकरण और उपकरण की खरीद	12
9. संबंधित प्रावधान	12
10. प्रमुख गतिविधियां	12
11. कार्य योजना तैयार करने के संबंधित गतिविधियां	13-14

अनुलग्नक 'क' - अपशिष्ट संग्रह करने वाली जीविका सदस्यों के पारिश्रमिक इंडेक्स

अनुलग्नक 'ख' - स्वच्छता पर्यवेक्षक संबंधी दिशा-निर्देश।

अनुलग्नक 'ग' - स्वच्छता पर्यवेक्षक की सूची

अनुलग्नक 'घ' - ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तकनीक

अनुलग्नक 'च' - कार्य योजना प्रपत्र

अनुलग्नक 'छ' - नीर निर्मल परियोजना (165 ग्राम पंचायत) सूची

अनुलग्नक 'ङ' - कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट मैन्युअल

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतगत ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका

परिचयः

ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की अवधारणा अपेक्षाकृत नई है और ग्रामीण भारत में प्रत्येक दिनं लगभग **0.4** मिलियन मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है (DDWS-UNICEF-2008) एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति 250 से 300 ग्राम ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। जिसमें से **20** प्रतिशत से कम औपचारिक रुप से एकत्र किया जाता है। आज वाणिज्यिक गतिविधियों और उपभोक्तावाद के परिणाम स्वरुप ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पन्न होने की मात्रा में वृद्धि हुयी है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान इन अपशिष्टों को एक संसाधन रुप में देखता है। स्वच्छता की दृष्टि से साफ एवं शुद्ध पर्यावरण के साथ स्वस्थ गांव के विकास के लिये ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन को मूल रूप देने के लिए रणनीति का निर्माण, समुदाय में जागरुकता अभियान और समुदाय आधारित संस्थानों और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को ग्रामीण क्षेत्रों में करना एक बड़ी चुनौती है, इस चुनौती को सुलभता से करने हेतु हमें अपशिष्ट प्रबंधन के मूल सिद्धान्त को लागु करना होगा जैसे- 4R Refuse/ इंकार करना Reduce/ कम करना / Reuse पुनः उपयोग करना / Recycle पुनः चक्रण करना।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institution) और समुदाय आधारित संस्थानों (Community Based Organization) की देख-रेख में लागू किया जाना है। जिसमें घरेलू स्तर, संस्थागत स्तर और पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह, समुदाय आधारित संस्थान आदि की सक्रिय भागीदारी एवं भुमिका है।

उद्देश्य

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत मॉडल के रुप में प्रदर्शित करना है। जिसे ग्राम पंचायत एवं सामुदाय आधारित संगठन (CBO) के सहायता से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा सके।

विशिष्ट उद्देश्य

i. समुदाय आधारित संगठनों (CBO) और पंचायत राज संस्थानों के नेतृत्व में समुदाय आधारित विकेन्द्रीकृत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन को विकसित करना।

ii. ग्रामीण समुदाय के बीच, अपशिष्ट को कम करने, पुनः उपयोग करने और पुनःचक्रण की प्रक्रिया को लागू करना।

iii. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में MGNREGS, NRLM, RWSS- LIS NNP इत्यादि जैसे साथ अन्य सरकारी कार्यक्रमों के राशि की सहभागिता सुनिचित करना।

iv. संस्थागत (पंचायती राज सामुदायिक संस्था एवं प्रशासनिक ढांचा) और विषयगत अभिसरण के माध्यम से ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन हस्तक्षेप करने के लिये एक आम मंच और संसाधन समूह बनाया जाना

v. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य को बढ़ावा देने के लिए मॉडल निर्माण करना।

1.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) के लिए 4R's (Reduce, Reuse, Recycle, Recover) के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न ठोस कचरे को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है:

i. **जैविक अपशिष्ट (Biodegradable Waste)**

ii. **अजैविक अपशिष्ट (Non-Biodegradable Waste)**

iii. **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (Bio-Medical Waste)**

iv. **घरेलू खतरनाक अपशिष्ट (Domestic Hazardous Waste)**

v. **ई-कचरा (E-Waste)**

1.2 जैविक अपशिष्ट

i. घरेलू स्तर के प्रबंधन और पुन: उपयोग को बढ़ावा दें।

ii. जैविक अपशिष्ट से तैयार होने वाले खाद, बायोगैस, इत्यादि के लिए बाजार लिंकेज सुनिश्चित करें अथवा इन उत्पादों घरेलू /सामुदायिक स्तर पर उपयोग हो।

iii. पशु अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट की एक श्रेणी है जो ग्रामीण संदर्भों में महत्वपूर्ण है।

1.3 अजैविक अपशिष्ट

i. प्लास्टिक के बने थैली एवं अन्य सामग्री का उपयोग समाप्त करके घर पर बेकार कपड़ों से बने कपड़े के बैग के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना है।

ii. रिसाइकलर्स कबाड़ी वाले को पंजीकृत कर ग्राम स्तर पर अजैविक अपशिष्ट को बेहतर निपटान किया जा सकता है।

1.4 पशु अपशिष्ट

मवेशियों/पशुओं के मल को भी जैविक अपशिष्ट के साथ निपटान किया जा सकता है।

2. तरल अपशिष्ट प्रबंधन

जल का उपयोग एक बार कर लेने के बाद जब वह हमारे दुबारा उपयोग या किसी अन्य उपयोग के लिए उपयुक्त ना हो तब इसे तरल अपशिष्ट माना जाता है। तरल अपशिष्ट का निपटान ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रमुख समस्या है।

एक जगह जमा हुआ गंदा पानी (अपशिष्ट-जल) दुर्गंध पैदा करता है एवं मच्छरों के लिए प्रजनन स्थान भी बनाता है, इसलिए गंदा पानी (अपशिष्ट जल) का सुरक्षित निपटान होना चाहिए। गंदा पानी को उपचारित कर पुन:उपयोग किया जा सकता है एवं स्वच्छ जल की जरूरत में भी कमी एवं गंदे पानी से होने वाले रोगों में भी नियंत्रण करता है।

2.1 ग्रामीण क्षेत्र में तरल अपशिष्ट के प्रकार:

i. ग्रे(धूसर) जल (Grey Water)

ii. ब्लैक(मलिन) जल (Black Water)

2.2 ग्रे (धूसर) जल स्नानघर (बाथरूम),कपड़े एवं रसोई धोने से निकलने वाले गंदे जल हैं। ग्रे-(धूसर) जल को मलिन जल की तुलना में कम उपचार की आवश्यकता होती है और आम तौर पर इसमें कम रोगजनक विषाणु/किटाणु पाये जाते हैं। ग्रे(धूसर) जल को हम उपचारित कर कृषि, शौचालय के साफ-सफाई, मल निपटान, किचन गार्डेन के लिए पुन:उपयोग कर सकते हैं।

2.3 मलिन(ब्लैक) जल शौचालय से निकला हुआ जल जिसमे मानव मल का अंश मिला हुआ हो| इस जल के सुरक्षित निपटान से पहले इसका जैविक और रसायनिक उपचार करना आवश्यक होता है |

3. संस्थागत ढांचा

3.1 राज्य स्तर

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान **(बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी (BRLPS))** के राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई (SPMU), समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए नोडल है।

3.2. राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति

3.2.1 ग्रामीण विकास विभाग, राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति (State Level Scheme Sanctioning Committee-SLSSC) में राज्य स्तर के विभिन्न तकनीकी विभागों, संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यथा-

i. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार,

ii. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, एन०आर० एच०एम०, बिहार सरकार,

iii. निदेशक, सामाजिक वाणिकी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार,

iv. निदेशक, आई०सी०डी०एस०, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार,

v. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार,

vi. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा अधिकृत पदाधिकारी।

vii. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अधिकृत पदाधिकारी।

viii. वाश स्पेशलिष्ट, युनिसेफ, बिहार।

3.2.2. राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC) द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) परियोजनाओं के क्रियान्वयन संबंधित नीति निर्माण, दिशा-निर्देश एवं अनुमोदित योजनाओं के समीक्षा, अनुश्रवण एवं विभागीय अभिसरण का कार्य किया जाना है।

3.3 राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) क्रियान्वयन हेतु संरचना, दायित्व एवं कार्य :

3.3.1. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के मिशन निदेशक होंगे तथा सहयोग हेतु राज्य समन्वयक सहित अन्य तकनीकी समन्वयक एवं सलाहकार होंगे।

3.3.2. बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी (BRLPS), के तहत स्थापित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) का राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन, नीति निर्माण, MIS विकसित करना, सूचना एवं संचार गतिविधि, योजना निर्माण, क्षमता संवर्द्धन, अनुश्रवण एवं निधि प्रबंधन के लिए नोडल कार्यालय होगा।

3.4 जिला जल एवं स्वच्छता समिति स्तर (DWSC) क्रियान्वयन हेतु संरचना, दायित्व एवं कार्य :

3.4.1. जिला स्तर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान हेतु कार्यरत जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) के पदेन अध्यक्ष जिला पदाधिकारी, उपाध्यक्ष उप विकास आयुक्त एवं सचिव निदेशक, लेखा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हैं। जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सहयोग के लिए जिला स्तर पर जिला समन्वयक तथा अन्य तकनीकी परामर्शी जैसे - आई०ई०सी०, क्षमता संवर्धन एवं मानव संसाधन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, डाटा इंट्री ऑपरेटर इत्यादि हैं।

3.4.2. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में तकनीकी सहायता हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों को जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सदस्य के रुप में निम्न को सम्मिलित किया जायेगा।

i. जिला सलाहकार / अन्य सलाहकार-ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन,
ii. कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता, मनरेगा
iii. जिला कृषि पदाधिकारी, कृषि विभाग,
iv. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग,
v. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/अपर नगर आयुक्त, नगर निगम,
vi. डेवलपमेंट पार्टनर एवं अन्य कोई तकनीकी ऐजन्सी।

3.4.3. जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) के कार्य एवं दायित्व :

i. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जिला स्तर पर क्रियान्वयन एवं विभागीय अभिसरण हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।

ii. RWSS-LIS-NNP(नीर निर्मल परियोजना) से आच्छादित 165 ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर तैयार किये गए "**कार्य योजना** को समीक्षा उपरांत नियमानुसार तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा (दिनांक 11.09.2019 को आहूत द्वितीय राज्य स्तरीय योजना अनुमोदन समिति के बैठक की कार्यवाही के कार्यावली 1 के आलोक में)।

iii. अन्य ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर तैयार किये गए "**कार्य योजना** को समीक्षा उपरांत नियमानुसार तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राज्य प्रबंधन इकाई-लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को अग्रसारित करेगा (ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 355720 दिनांक 22.02.2018 के आलोक में)।

iv. जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) संबंधित कार्य योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई-लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को प्रस्तुत करेगी।

v. जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) द्वारा SLWM के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायत/सामुदाय आधरित संगठन को नामित किया जायेगा एवं संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा एवं व्यय की गयी राशि का अनुश्रवण एवं सत्यापन करेगा।

vi. जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) ग्राम पंचायत/ ग्रामीण स्तर पर संबंधित कार्य योजना के पूर्ण होने की समय-सीमा को भी अंतिम रूप देगा और मासिक आधार पर उनकी प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगा।

vii. जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट के सूचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार अन्य योजनाओं जैसे- मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना/ मुख्यमंत्री नली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना/ रूर्बन(Rurban)/ मनरेगा/ सामाजिक वानिकी /चौदहवीं वित्त आयोग/ पंचम वित्त आयोग, पंचायती राज विभाग द्वारा

निर्गत निदेश के आलोक में एवं अन्य योजनाओं से अभिसरण हेतु संबंधित जिला स्तरीय कार्यालय को निदेशित करेंगे।

3.5 प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) क्रियान्वयन हेतु संरचना, दायित्व एवं कार्य:

3.5.1 लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन हेतु राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में कार्यरत प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण ईकाई (BPMU) में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पदेन अध्यक्ष एवं प्रखण्ड समन्वयक सदस्य सचिव हैं। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तकनीकी सहयोग एवं सुझाव हेतु प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण ईकाई (BPMU) द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में परियोजना अधिकारी (मनरेगा), सहायक/कनीय अभियन्ता (मनरेगा), प्रखण्ड कृषि अधिकारी, सलाहकार-ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन आदि को आमंत्रित किया जायेगा।

3.5.2 प्रखण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई (BPMU) द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना निर्माण में तकनीकी इनपुट प्रदान किया जायेगा।

3.5.3 प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन SLWM कार्य योजना के समीक्षा उपरांत तकनीकी और वित्तीय अनुशंसा के साथ जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) को अग्रसारित करेगी।

3.5.4 प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) "कार्य योजना" की तैयारी एवं मूल्यांकन में ग्राम पंचायत, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन ईकाई को समर्थन करेंगे एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) को मासिक-भौतिक एवं वित्तीय को प्रतिवेदन सौंपेगी।

3.5.5 प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्वीकृत कार्य-योजना का अनुश्रवण, अनुसमर्थन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी तथा विभिन्न स्तरों पर मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

3.6 ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति क्रियान्वयन हेतु संरचना, दायित्व एवं कार्य :

3.6.1 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति की संरचना :

- ग्राम पंचायत के मुखिया - अध्यक्ष
- पंचायत सचिव - सदस्य सचिव) वैसे ग्राम पंचायतों में जहां पंचायत सचिव अतिरिक्त प्रभार में होंगे, वहां ग्राम पंचायत स्तरीय क्रियान्वयन समिति के सचिव के रूप में प्राथमिकता क्रम में पंचायत रोजगार सेवकग्रामीण आवास सहायक या अन्य किसी पंचायत / स्तरीय सरकारी कर्मी को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय क्रियान्वयन समिति के सचिव के रूप में नामित किया जायेगा।)
- मुखिया द्वारा नामित दो वार्ड सदस्य - एक पुरुष और एक महिला (एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से रहेंगे।)

- संकुल स्तरीय संघ (CLF), द्वारा नामित सदस्य - एक महिला (समुदाय आधारित संस्था (लीडर) / ग्राम संगठन(VO)/ संकुल स्तरीय संघ (CLF), सदस्य / महिला
- मनरेगा के तकनीकी पदाधिकारी
- स्वच्छता पर्यवेक्षक।

3.6.2 ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति के दायित्व एवं कार्य :

- ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य एवं क्रियान्वयन एवं वार्ड स्तर पर क्रियान्वित कार्य का अनुश्रवण करेगी।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वार्ड स्तर से प्राप्त बेसलाईन सर्वे के आंकड़ों के आलोक में कार्य योजना तैयार करना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु तैयार कार्य योजना (बेसलाईन सर्वे से प्राप्त आंकड़ा के आलोक में) की समीक्षा एवं ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त किया जाना।
- ग्राम सभा से अनुमोदित कार्य योजना को प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण ईकाई को अनुशंसा एवं राशि उपलब्धता हेतु अग्रसारित करना।
- वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को आवश्यकतानुसार ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निधि उपलब्ध कराना एवं वार्ड स्तर पर क्रियान्वित कार्यों की समीक्षा एवं सत्यापन करना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट अलग-अलग (Segregation) करना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन (Collection and Transportation)।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण (Processing)।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट का निपटान (Disposal)।
- ग्राम पंचायत स्तर पर तरल अपशिष्ट का प्रबंधन (Liquid Waste Disposal)
- ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकतानुसार अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (Waste Processing Unit) हेतु स्थल का चयन एवं उपयुक्त भवन/शेड उपलब्ध कराना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकतानुसार अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन हेतु वाहन यथा ट्राईसाईकिल, कंटनरीकृत ई-रिक्शा, मोटरयुक्त वाहन इत्यादि का उपलब्धता/खरीद (संलग्न खरीददारी नियमावली के अनुसार) सुनिश्चित कराना।

- ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, पृथक्करण एवं प्रसंस्करण हेतु आवश्यकतानुसार मानव बल यथा सैनिटेशन सुपरवाईजर, स्वच्छाग्रही इत्यादि से कार्य लिया जायेगा।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु अलग से बैंक खाता खोला जाना एवं खाते का संचालन अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समुचित लेखा का संधारण करना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु किए जा रहे कार्यों की भौतिक प्रगति तथा व्यय किए गए राशि से संबंधित वित्तीय प्रतिवेदन प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सौंपना एवं किए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना।
- ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति द्वारा घर, व्यावसायिक संस्थान, होटल, दुकान, बाजार से अपशिष्ट संग्रह/निपटान हेतु वार्ड स्तर द्वारा निर्धारित सुविधा शुल्क (User charge) (प्रति माह/सप्ताह) के संग्रहण का अनुश्रवण किया जायेगा।

3.7 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति संरचना, दायित्व एवं कार्य :

i. पंचायती राज विभाग अन्तर्गत हर घर नल का जल के क्रियान्वयन हेतु गठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा वार्ड स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन किया जायेगा ।

ii. वार्ड से निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य) समिति के पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष होंगे।

iii. स्वच्छता पर्यवेक्षक/मनरेगा के तकनीकी पदाधिकारी/ कृषि विभाग के ग्राम पंचायत स्तरीय पदाधिकारी, जीविका के ग्राम संगठन द्वारा मनोनित एक महिला सदस्य एवं अन्य पंचायत स्तरीय तकनीकी पदाधिकारी को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा।

3.8 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा वार्ड स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्य एवं दायित्व:

- वार्ड स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु घर, दुकान, हाट/बाजार, संस्थान इत्यादि से प्राप्त बेसलाईन सर्वे (संलग्न प्रपत्र के अनुसार) के आंकड़ों के आलोक में वार्डस्तरीय/ग्रामस्तरीय कार्य योजना तैयार करना।

- वार्ड स्तर पर तैयार कार्य योजना को ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन हेतु अग्रसारित करना।

- वार्ड स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान हेतु रूटमैप तैयार करना, प्रतिदिन का कार्य रूटमैप के अनुसार किया जाना।

- वार्ड स्तर पर स्रोत (घर, दुकान, हाट/बाजार, संस्थान इत्यादि) पर ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट अलग-अलग (Segregation) करना।

- वार्ड स्तर पर अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन (Collection and Transportation)।

- घरेलु स्तर पर (स्त्रोत स्तर पर - घर, दुकान, हाट/बाजार, संस्थान इत्यादि) ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग (Segregation) करने हेतु दो छोटे डस्टबिन एवं इससे संबंधित उपकरण, सामग्री की खरीददारी (संलग्न खरीददारी नियमावली के अनुसार) नियमानुसार किया जाना।

- वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) द्वारा घर, व्यावसायिक संस्थान, होटल, दुकान, बाजार से अपशिष्ट संग्रह/निपटान हेतु सुविधा शुल्क (User charge) निर्धारित कर (प्रति माह/सप्ताह) वसूली की जायेगी।

- घर-घर कचरा उठाव/संग्रह का कार्य हेतु वार्ड स्तर पर दो महिला सदस्यों को (जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी) चयन किया जायेगा।

- घर-घर कचरा उठाव/संग्रह का कार्य हेतु चयनित जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) के दो सदस्यों को पारिश्रमिक के रूप में अधिकतम रु० 3000/- माह (काम आधारित) भुगतान किया जा सकता है **(अनुलग्नक 'क' के अनुसार)**।

4. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन में तकनीक एवं उपाय:

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन स्त्रोत/वार्ड एवं समुदाय स्तर पर किया जाना है जिसमें लागु होने योग्य निपटान की विधि, तकनीक ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार अपनायी जानी है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति/ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति के सुलभ प्रसंग हेतु ठोस अपशिष्ट एवं तरल अपशिष्ट के विभिन्न मॉडल संलग्न हैं। **(अनुलग्नक 'घ')**

5. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मानव संसाधन की उपयोगिता

ग्राम पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कुशल क्रियान्वयन एवं अनुसमर्थन हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता आवश्यक है।

i. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वार्ड/ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर समर्थन एवं अनुश्रवण हेतु स्वच्छता पर्यवेक्षक (न्यूनतम एक प्रति ग्राम पंचायत) रखा जा सकता है। स्वच्छता पर्यवेक्षक संबंधित विवरणी अनुलग्नक 'ख' के रूप में संलग्न है।

(अनुलग्नक-'ख' एवं 'ग')

ii. जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर तैनात सलाहकार- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा कार्य योजना के तैयार किए जाने एवं उसके अनुमोदन में तकनीकी एवं व्यावहारिक परामर्श एवं कार्य योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

iii. राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य सलाहकार एवं स्वच्छता सेल (ODF+) एवं (ODF-S) के कार्य में आवश्यकता के अनुसार सहयोग एवं तकनीकी सुझाव प्रदान करेंगे।

iv. राज्य एवं देश-भर में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अलग-अलग मॉडल क्रियान्वित किए जा रहें हैं जिनके अध्ययन, एक्सपोजर (शैक्षणिक भ्रमण), क्षमता संर्वधन, प्रशिक्षण इत्यादि महत्वपूर्ण हैं एवं इस कार्य हेतु डेवलपमेंट पार्टनर, तकनीकी एजेंसी, तकनीकी संस्थाओं की सहायता ली जा सकती है।

v. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मानव संसाधन यथा स्वच्छाग्रही, निगरानी समूह के सदस्य, समुदाय आधारित संस्था, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि इत्यादि को प्रशिक्षित किया जाना है।

6. **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सामेकित सूचना प्रबंधन संबंधित कार्य:**

i. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत IMIS पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन को अद्यतन किया जाना है। इस कार्य को मोबाईल एप के माध्यम से अनुश्रवण हेतु App तैयार किया जायेगा तदनुसार संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षित किया जायेगा इस संबंध में अलग से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।

ii. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ODF+) एवं (ODF-S) के कार्य का अनुश्रवण, मुल्यांकन ऑनलाईन/एप(App) द्वारा किए जाने के आलोक में आवश्यक प्रशिक्षण एवं दिशानिर्देश अलग से दिया जायेगा। IMIS को विकसित एवं संचालित करने में डेवलपमेंट पार्टनर, तकनीकी विशेषज्ञ एवं संस्थान की सहायता ली जायेगी।

7. वित्तीय प्रबंधन

7.1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) परियोजनाओं के लिए राशि निम्न रूप से उपलब्ध है :-

i. ग्राम पंचायत मे 150 घरों तक - 7 लाख रु अधिकतम

ii. ग्राम पंचायत मे 300 घरों तक - 12 लाख रु अधिकतम

iii. ग्राम पंचायत मे 500 घरों तक - 15 लाख रु अधिकतम

iv. ग्राम पंचायत मे 500 से अधिक घरों में - 20 लाख रु अधिकतम

उपरोक्त अधिकतम राशि के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों से भी सहायता/अभिसरण प्राप्त किया जायेगा यथा - RWSS -LIS नीर निर्मल परियोजना (NNP), गंगा कार्य योजना (GAP), मुख्यमंत्री पयेजल योजना, नली-गली पक्कीकरण योजना/ रूर्बन (Rurban)/ मनरेगा/सामाजिक वानिकी/ चौदहवीं वित्त आयोग/ पंचम राज्य वित्त आयोग एवं कॉरपोरेट सोशल रेसपॉन्सिब्लिटी (CSR)।

7.2 RWSS-LIS-NNP(नीर निर्मल परियोजना) से आच्छादित 165 ग्राम पंचायतों में रू० 825/- प्रति घर के दर से अधिकतम 60% घरों की संख्या के आधार पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य हेतु राशि कर्णांकित की गयी है।

7.3 राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई-लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा RWSS-LIS-NNP(नीर निर्मल परियोजना) से आच्छादित प्रथम चरण के 50 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति/ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति को पहले किश्त के रूप में कार्य योजना का 50% राशि हस्तांतरित (Fund Transfer) किया जायेगा एवं हस्तांतरित 50% राशि में से 60% राशि व्यय किए जाने एवं राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) में उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने के बाद दूसरी किश्त के रूप में शेष 50% राशि हस्तांतरित (Fund Transfer) की जायेगी। शेष ग्राम पंचायतों में कार्य योजना के आधार पर राशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु संबंधित उपकरण की खरीद

- विश्व बैंक द्वारा संपोषित LIS - नीर निर्मल परियोजना (NNP) से आच्छादित ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु संबंधित उपकरण की खरीद संलग्न नीर निर्मल परियोजना अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत सामुदायिक प्रोक्योरमेंट नियमावली ("Manual for Community Procurement") के आधार पर की जाएगी। **(अनुलग्नक- 'छ' एवं 'झ')**

- अन्य ग्राम पंचायतों/ वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) में Bihar Financial Rules के अनुसार प्रोक्योरमेंट किया जायेगा।

- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सामान और खरीद ग्राम पंचायत/ वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा खरीद मानकों के अनुसार की जाएगी।

9. संबंधित प्रावधान

ग्राम पंचायत निम्नलिखित कानूनी प्रावाधानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करेंगे -

i. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अनुसार, ग्राम पंचायत को को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर ठोस एवं तरल कचरे की जिम्मेदारी प्रदत्त है।

ii. ग्राम पंचायत ठोस अपशिष्ट द्वारा निर्मित जैविक खाद की गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तकनीकी संस्थाओं से जुड़ सकती है।

iii. ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना, 2017 के अनुसार अपशिष्ट निर्वहन मानकों के अनुसार किया जाता है।

10. प्रमुख गतिविधियां

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) कार्य योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए क्रमिक रूप से या एक साथ व्यापक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा सकता है यथा -

10.1 क्षमता संवर्धन

i. राज्य एवं जिला स्तर पर क्षमता निर्माण गतिविधियों का संचालन किया जायेगा, जिसमें ग्राम पंचायत, प्रखण्ड, जिला स्तर के कर्मी, स्वच्छाग्रही इत्यादि प्रतिभागी होंगे।

ii. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) संबंधित प्रशिक्षण अन्तर्गत व्यवहार परिवर्तन, कार्य- योजना निर्माण, कार्यान्वयन की तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान संबंधित प्रशिक्षण दिये जायें।

iii. प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए, राज्य और जिला स्तरों पर विभिन्न विभागों के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

iv. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) की SPMU राज्य भर में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुसमर्थन एवं समन्वय करेगी।

10.2 सूचना,शिक्षा एवं संचार (IEC)

सूचना,शिक्षा एवं संचार (IEC) अभियानों की एक श्रृंखला की योजना बनाकर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के सभी पहलुओं पर समुदाय जागरूकता एवं भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी स्तर (ग्राम पंचायत/वार्ड/प्रखण्ड/जिला/राज्य) पर कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा। इस कार्य में राज्य स्तरीय ODF-S सेल एवं IEC सेल द्वारा जिला/प्रखंड एवं ग्राम पंचायतों को अपेक्षित सहयोग किया जायेगा।

10.3 समुदाय की भूमिका

i. वार्ड एवं पुरे गांव की स्वच्छता में समुदाय की महत्वपूर्ण भुमिका होगी। ठोस एवं तरल अपशिष्ट का समुदाय स्तर पर निपटान करने में उनका योगदान आवश्यक होगा।

ii. प्रत्येक घर / निवासी को अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपने से पहले दो श्रेणियों (गीला एवं सूखा) में अपशिष्ट को अलग-अलग (Segregation) करना होगा।

iii. समुदाय स्तर पर अपशिष्ट को सुखा एवं गीला भाग में अलग-अलग (Segregation)करने के लिए प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया जायेगा।

iv. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य को स्थायित्व प्रदान करने हेतु समुदाय को User Charges देने एवं दंड शुल्क प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

11. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्य योजना (Action Plan) तैयार करने एवं संबंधित गतिविधियाँ

11.1. बेसलाइन सर्वेक्षण

ग्राम पंचायत स्तर पर समुदाय द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के प्रकार और मात्रा का आकलन करना। उदाहरण के रूप में घर के स्तर पर, चाय की दुकान, रेस्तरां, मैरिज हॉल, सब्जी मंडी, मछली बाजार, बस स्टैंड, मंदिर एवं स्कूल आदि से निकलने वाले ठोस एवं तरल अपशिष्ट शामिल है।

11.2. कार्य योजना

i. ग्राम पंचायत स्तर पर इकट्ठा किये गये आंकड़े के आकलन के पश्चात ग्राम पंचायत क्रियान्वयन ईकाई, समुदाय स्तर पर सुरक्षित निपटान के विकल्पों को कार्य योजना में शामिल करेगी। कार्य योजना का निर्माण संलग्न कार्य योजना प्रपत्र (Action plan format) के अनुसार किया जाना है। **(अनुलग्नक-'च')**

ii. निर्मित कार्य योजना को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जायेगा एवं ग्राम सभा द्वारा सुझाव एवं विचार को शामिल कर अनुमोदन ली जायेगी।

11.3 प्रक्रिया

i. इस संबंध में वार्ड एवं पंचायत स्तर पर वृहत जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जायेगा एवं स्रोत पर अपशिष्ट का सुखे (अजैविक) एवं गीले (जैविक) भाग में अलग-अलग (Segrigation) किया जायेगा।

ii. प्रत्येक घर, संस्थान, बाजार, हाट से सुखे एवं गीले अपशिष्ट के संग्रहण हेतु नीला एवं हरा डस्टबीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

iii. घरेलु स्तर पर ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट के निपटान को प्रोत्साहित किया जायेगा। घरेलु स्तर पर निपटान के उपरांत बचे हुए अपशिष्ट को सामुदाय स्तर पर निपटान के लिए संग्रह एवं परिवहन (Door to Door Collection & Transpotation) किया जायेगा।

iv. घर, बाजार, हाट, व्यावसायिक स्थल एवं संस्थानों से संग्रहित अपशिष्ट को परिवहन करके प्रसंस्करण हेतु अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (Waste Processing Unit) पर पहुंचाना होगा, जहां पर संग्रहित सुखे (अजैविक) एवं गीले (जैविक) अपशिष्ट को प्रसंस्करण (Processing) किया जायेगा। इस कार्य के लिए ट्राईसाईकिल, कंटनरीकृत हाथ गाड़ी, ई-रिक्शा, मोटरयुक्त वाहन इत्यादि वार्ड की जनसंख्या के अनुसार उपलब्ध कराना होगा।

01/10/19

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-
सह-मिशन निदेशक